(b) if so, the details of this robbery with amount looted;

(c) whether sufficient measures have been taken to prevent incidents of robbery in Banks for the safety of staff and customers in view of past experience of such incidents;

(d) if so, the reasons for happening of such robbery;

(e) whether Government propose to take some more stringent steps to prevent such incidents in future; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) There was during the period in question only one case of bank robbery which occurred in the year 1997 in which an amount of Rs. 2,81,244/- belonging to the bank was looted at gun-point. In addition, there were 3 cases of attempt to rob the bank, 2 reported in 1996 and one in 1997, in which 4 persons were arrested.

(c) to (f) The steps taken to prevent incidents of bank robbery include installation of emergeny alarm in bank branches, increasing the number of armed guards in banks, intensified patrolling around banks specially during banking hours, verification of security guards of banks and arrangement of necessary firing practice for them and periodic review of security measures in banks with the bank manager concerned.

बिहार में उग्रवादियों द्वारा मारे गए व्यक्ति

1624. **श्री जनार्दन यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में 1 जनवरी, 1997 से लेकर आज तक उग्रवादी संगठनों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) बिहार के किन-किन जिलों में उग्रवादी संगठन विद्यमान हैं; और

(ग) सरकार ने राज्य में उग्रवादी संगठनों द्वारा की जा रही हत्याओं को रोकने के लिए क्या योजनाएं तैयार की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार में 1 जनवरी, 1997 से 30 जून, 1997 तक उग्रवादी संगठनों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या 132 थी।

(ख) उनकी गतिविधियां मुख्यतः राज्य के पलामू, गया, भोजपुर, जहानाबाद, पटना, चतरा, औरंगाबाद, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, नालन्दा, सिवान, बक्सर और रोहतास जिलों में देखने में आई हैं।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के भिन्न नक्सलवाद-विरोधी अभियानों के समन्वय कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, और राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियों पर नियन्त्रण के लिए उपयोग सूचना के परस्पर आदान-प्रदान में सुधार लाने की कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को उनकी पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए, उन्हें उन्नत किस्म के हथियार उपलब्ध कराने के लिए, अर्द्ध सैनिक बलों आदि की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता देकर उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। कतिपय विशेष परिस्थितियों में, कुछ प्रभावित राज्यों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और हथियारों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे आवंटनों के अतिरिक्त भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे

1625. **श्री जनार्दन यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1995 से 1997 के बीच देश में कुल कितने हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए और ये दंगे किन-किन राज्यों में हुए थे;

(ख) इन दंगों में मरने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) ऐसे दंगों की रोकथाम के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ग) सूची II भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अनुसार, "लोक व्यवस्था"

और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। साम्प्रदायिक दंगों को दबाने के लिए मुख्यतः राज्य सरकारें द्वारा आवश्यक उपाय किए जाने हैं तथापि, केन्द्रीय सरकार उन्हें आसूचना उपलब्ध कराके राज्य सरकारों की सहायता करती है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अर्द्ध-सैनिक बल भी उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अपनी योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अपने पुलिस ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी देती है। केन्द्रीय सरकार ने साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहन देने और साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

विवरण

वर्ष 1995, 1996 और 1997 (मार्च तक) के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं/दंगों की संख्या और मारे गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाली विवरणी, राज्य-वार

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साम्प्रदायिक घटनाओं/ दंगों की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	6
2.	बिहार (दिसम्बर, 1996 तक)	29	9
3.	गुजरात	62	15
4.	हरियाणा	1	—
5.	जम्मू और कश्मीर	6	—
6.	कर्नाटक	41	12
7.	केरल	73	8
8.	मध्य प्रदेश	94	17
9.	महाराष्ट्र	12	7
10.	उड़ीसा	2	2
11.	तमिल नाडु	26	18
12.	उत्तर प्रदेश	5	17
13.	पश्चिम बंगाल	45	17
14.	दिल्ली	5	—

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सूचना "शून्य" है।

Racketeering in Recruitment of Home Guards

1626. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have seen reports of racketeering in Home Guards Recruitment as appeared in 'The Indian Express' dated 19th January, 1995 and the 'Hindustan Times' dated the 29th June, 1995;

(b) if so, what is the factual position in this regard; and

(c) what remedial action, if any, taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHAMMAD MAQBOOL DAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) It was decided by the Government of National Capital Territory of Delhi to suspend further recruitment of Home Guards. A special audit of the accounts of the Home Guards Department was conducted. Criminal cases were registered against three persons and one official was placed under suspension besides initiating a departmental inquiry against him. The Anti Corruption Branch has also been ordered to conduct inquiry against another person.

Money from Gulf Countries to Certain Groups in Kerala

1627. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some groups operating in North Kerala are getting money from Iran and some Gulf countries;

(b) whether it is a fact that the Kerala Government has taken a serious view or these transactions as appeared in 'The Hindu' dated the 18th March, 1991; and